न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. 03/2008

प्रार्थीगण–

उकाराम पुत्र हबताराम जाति माली निवासी सिन्धासवा चौहान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

कानाराम पुत्र रूगाराम के कायम मुकाम

1. पोकरराम पुत्र कानाराम के कायम मुकाम
   1.1 श्रीमती धाई पत्नी पोकरराम
   1.2 श्रीमती नोजी पत्नी मंगलाराम
   1.3 मुकेश पुत्र मंगलाराम
   1.4 मनोहर पुत्र मंगलाराम
2. हरा पुत्र कानाराम
3. डूंगरा पुत्र काना के कायम मुकाम
   3.1 श्रीमती अन्तरो पत्नी डूंगराराम
   3.2 पैलाद पुत्र डूंगराराम
   3.3 तुलसा पुत्र डूंगराराम
   3.4 मूलाराम पुत्र डूंगराराम
   3.5 चम्पाराम पुत्र डूंगराराम
4. दला पुत्र काना
5. मोडा पुत्र स्वरूपा
6. मंगला पुत्र स्वरूपा
7. प्रतापा पुत्र स्वरूपा
8. तिलोका पुत्र स्वरूपा
9. श्रीमती फूली देवी पत्नी स्वरूपा

जाति जटिया निवासी सिन्धासवा चौहान तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर

10. प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा–गुड़ामालानी
11. तहसीलदार गुड़ामालानी

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 विरूद्ध भूमि आवंटन आदेश दिनांक 01.06.1968 जिसके द्वारा मौजा सिन्धासवा चौहान के खसरा नम्बर 176 रकबा 40–00 बीघा भूमि आवंटन की गई।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही होने से एकपक्षीय।
2. श्री मदनलाल सिंहल, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1से9 की ओर से उपस्थित।
3. श्री सोहन दवे, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 11 की ओर से उपस्थित।
4. अप्रार्थी सं. 10 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 23/07/2019

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि भूमि आवंटन सलाहाकार समिति की बैठक दिनांक 01.06.1968 के दौरान कृषि भूमि के नियमन हेतु प्रस्तुत मामलों मे क्रम संख्या 122 पर अंकित काना वल्द रूगा के नाम मौजा सिन्धासवा चौहान के खसरा नम्बर 176 रकबा 40–00 बीघा किस्म गैर मुमकीन नदी भूमि आवंटन किये जाने की अनुशंषा की गई। प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र के द्वारा अवगत कराया हैं कि काना पुत्र रूगा के नाम दिनांक 01.07.1966 को मौजा सिन्धासवा चौहान के खसरा नम्बर 209 मे ही रकबा 20–00 बीघा भूमि आवंटित हुई थी तथा इसी दिन इसके पुत्रों पोकर व सरूपा के नाम भी 20–20 बीघा भूमि आवंटित हुई। आवंटी काना पुत्र रूगा ने दिनांक 01.06.1968 को आवंटन सलाहाकार समिति के समक्ष गलत तथ्य पेश कर स्वंय को भूमिहीन बताकर आवंटन करवाया है, जिसके विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर बाड़मेर

Scanned by CamScanner

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण जवाब हेतु जरिये नोटिस तलब हुए। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दोनो पक्षों की ओर से प्रस्तुत गवाहान के बयान एवं अभिलेखीय साक्ष्य के अवलोकन उपरांत निर्णय दिनांक 09.11.2010 के द्वारा आवंटन सलाहाकर समिति की ओर से दिनांक 01.06.1968 को आवंटी काना पुत्र रूगा के पक्ष मे मौजा सिन्धासवा चौहान के खसरा नम्बर 176 रकबा 40—00 बीघा के आवंटन को निरस्त किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को उक्त भूमि कब्जा प्राप्त कर राजस्व अभिलेख मे बहक सरकार अमल दरामद करने के निर्देश प्रदान किये गये। इस आदेश से व्यथित होकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर द्वारा दोनो पक्षों की सुनवाई पश्चात उनके समक्ष प्रस्तुत अपील सं. 12/2012 मे पारित निर्णय दिनांक 25.03.2015 के द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 09.11.2010 को अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि आवंटन सलाहाकार समिति का रेकर्ड तलब करते हुए साक्ष्य प्रतिवादी पर मनन उपरांत आवंटन नियमों को ध्यान मे रखते हुए अपीलार्थीगण की पात्रता के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। इस पर यह प्रकरण पुनः नम्बर पर कायम होकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया एवं आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष मे किये गये आवंटन से सम्बन्धित कार्यवाही रजिस्टर मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

3. हमने अप्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता को सुना एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे पारित निर्णय पर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा मूलतः दो बिन्दुओं पर प्रकरण रिमाण्ड किया गया है, जिसमे प्रथम यह कि आवंटन से सम्बन्धित अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया जावें एवं आवंटीगण की पात्रता की जांच नियमों के परिप्रेक्ष्य मे करते हुए पुनः साक्ष्य लेते हुए निर्णय पारित किया जावें। हस्तगत प्रकरण से सम्बन्धित आवंटन अभिलेख बैठक कार्यवाही रजिस्टर के

जिला कलक्टर बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अवलोकन से प्रकट हैं कि वक्त आवंटन स्वंय भूमिहीन बताया है, जबकि इनके पक्ष मे आवंटन सलाहाकर समिति द्वारा दिनांक 01.07.1966 को मौजा सिन्धासवा चौहान के खसरा नम्बर 209 मे 20–00 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। इस प्रकार आवंटी काना ने आवंटन सलाहाकार समिति के समक्ष पूर्व मे उनके द्वारा धारित भूमि की गलत सूचना देकर उक्त आवंटन करवाया गया हैं। इस बिन्दु पर अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा कोई प्रतिरक्षणस्वरूप कथन नही किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा न्यायिक निर्णय नजीर आरआरडी 2018 पेज 479, डीएनजे 2016 पेज 732 एवं आरआरडी 2007 पेज 713 प्रस्तुत कर प्रकट किया कि अप्रार्थीगण के पक्ष मे वर्ष 1968 मे हुए आवंटन के लगभग करीब 30 वर्ष बाद प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हैं। अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन की सभी शर्तों की पालना की गई है एवं आवंटन के बाद लगातार अप्रार्थीगण का कब्जा–काश्त हैं जिससे खातेदारी अधिकार भी प्रदान किये जा चुके हैं। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय नजीरों के अवलोकन से माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये अभिमत इस प्रकरण के तथ्यों से परे होने से इस प्रकरण मे लागू नही होते हैं। अप्रार्थीगण के पक्ष मे वर्ष 1966 मे भूमि आवंटन होना अभिलेख पर है तथा इसे अप्रार्थीगण द्वारा अस्वीकार भी नहीं किया हैं ऐसे मे यह तथ्य साबित हैं कि दिनांक 01.06.1968 को आवंटन सलाहाकार समिति के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत किये जाकर आवंटन कराया गया है, जिसे बहाल रखा जाना कतई उचित प्रतीत नहीं होता हैं। अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से प्रकट किया गया हैं इस कार्यवाही का 30 वर्ष की लम्बी समयावधि के बाद प्रस्तुत किया जाना एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने से आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है, यह तर्क नियम 14(4) के विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य मे मानने योग्य नही हैं। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जो कोई आदेश प्रारम्भ से ही तथ्यों को छिपाकर जारी करवाया गया हों, उसके लिए मयाद की कोई सीमा नही हो सकती है। ऐसे मे अप्रार्थीगण के पक्ष मे भूमि

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

आवंटन सलाहाकर समिति द्वारा दिनांक 01.06.1968 को किये गये आवंटन निरस्त योग्य हैं।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरांत यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आवंटन सलाहाकार समिति की ग्राम भाखरपुरा मे आयोजित बैठक दिनांक 01.06.1968 के दौरान कृषि भूमि के नियमन हेतु प्रस्तुत मामलों मे क्रम संख्या 122 पर अंकित आवंटी काना पुत्र रूगा के नाम ग्राम सिन्धासवा चौहान के खसरा नम्बर 176 की रकबा 40—00 बीघा किस्म गैर मुमकीन नदी भूमि का आवंटन निरस्त किया जाता हैं। तहसीलदार गुड़ामालानी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि का कब्जा बहक सरकार लिया जाकर राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद कर पालना से अवगत करावें।

5. निर्णय आज दिनांक 23.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर बाड़मेर

Scanned by CamScanner